न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 3/2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
चेनाराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी आचीणा तहसील खींवसर जिला नागौर।		1राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खींवसर। 2पटवारी आचीणा।

उपस्थिति :–
1. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

निर्णय दिनांक:03.11.2020

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 252/2019 सरकार बनाम चेनाराम में निर्णय दिनांक 06.02.2020 के तहत मौजा आचीणा के खसरा नं. 198 रकबा 0.10 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.02.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 12.02.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार खींवसर के प्रकरण सं. 252/19 सरकार बनाम चेनाराम के फर्द अहकाम दिनांक 31.12.2019 से 06.02.2020 तक की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 06.02.20 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति तथा फर्द मौका की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–जैर अपील निर्णय न्याय के प्राकृतिक सामान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम नोटिस पर अपीलांट की विधिवत तामील मानने मे कानूनी रूप से भारी भूल की है। जबकि अपीलांट के पास अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया नोटिस व सूचना नही आयी और न ही अपीलांट के घर पर कभी तामील कुनिन्दा आया। लेकिन तामील कुनिन्दा ने शिकायतकर्ता के प्रभाव मे आकर घर पर नोटिस चस्पा करने की बिल्कुल ही झूठी व मिथ्या रिपोर्ट का अंकन किया गया है। जबकि तामील कुनिन्दा अपीलांट के घर पर कभी नही आया। जिस रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की तामील होना पर्याप्त माना गया है तथा न्यायालय के द्वारा नोटिस चस्पा करने का कोई आदेश पारित किया हुआ नही था तथा न्यायालय के आदेश के अभाव मे घर पर नोटिस चस्पा करने की रिपोर्ट के आधार पर कानूनी रूप से तामील नही मानी जा सकती। ऐसी स्थिति मे रिपोर्ट के आधार पर भी कानूनी रूप से तामील नही हुई थी तथा अपीलांट को विधिविरूद्व तरीके से सुनवाई से वंचित रखकर एक पक्षीय निर्णय करने मे कानूनी रूप से बडी भारी भूल की गई है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–उक्त प्रकरण के संबंधित अपीलांट को कोई सूचना प्राप्त नही हुई और न ही कोई नोटिस प्राप्त हुआ तथा अपीलांट की व्यक्तिगत रूप से व विधिवत रूप से कोई तामील नही हुई है तथा अपीलांट को विधिविरूद्व तरीके से सुनवाई से वंचित कर मिथ्या व झूठी रिपोर्टो के आधार पर अपीलांट को सुनवाई से वंचित कर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय निरस्तनीय है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–वादग्रस्त खसरा नं. 198 के किसी भी भू भाग पर अपीलांट का मौके पर कोई किसी भी तरह का कब्जा व अतिक्रमण नही है। लेकिन गांव मे आपस मे राजनैतिक पार्टीबाजी की वजह से पटवारी को अपने प्रभाव मे लेकर झूठी व मिथ्या रिपोर्ट प्रस्तुत करवायी गई है। मौके पर अपीलांट का आज दिन तक किसी भी तरह का कब्जा व अतिक्रमण नही है और न ही अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी ही है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट की मौजूदगी मे तहसीलदार स्वयं से पुनः मौका रिपोर्ट तलब करने पर सारी स्थिति न्यायालय के सामने आ जायेगी। इसलिये न्याय निर्णय हेतु पुनः मौका रिपोर्ट तलब किया जाना भी न्यायोचित है।

{2}(V)–उक्त खसरा पर अन्य लोगो का अतिक्रमण किया हुआ है। जिन लोगो के खिलाफ कोई कार्यवाही भी नही की जा रही है और गांव की आपसी पार्टीबाजी की वजह से द्वेष भावना से अपीलांट को तंग व परेशान करने व अपीलांट की बेइज्जती करने की नियत से बिना कोई अतिक्रमण होते हुए भी झूठी व मिथ्या रिपोर्टो के आधार पर अतिक्रमण माना जा रहा है जबकि मौके पर अपीलांट ने पुनः किसी भी भू भाग पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नही किया है। लेकिन वास्तविक तथ्यों को छिपाने के लिये व अपीलांट को मात्र जेल मे भेजने के उददेश्य से अपीलांट की व्यक्तिगत व विधिवत रूप से तामील नही करवाकर झूठी व मिथ्या रिपोर्ट तामील कुनिन्दा से करवाई गई है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय निरस्तनीय है।

{2}(VI)–वकील अपीलांट द्वारा यह भी कथन किया गया कि आराजी भूमि के किसी भी भू भाग पर मौके पर उसका किसी तरह का अतिक्रमण व कब्जा नही है तथा न ही वो भविष्य मे अतिक्रमण करेगा। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति मे सिविल कारावास की सजा माफ की जानी चाहिये।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा आचीणा में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके आचीणा के खसरा नंबर 198 रकबा 0.10 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। अपीलांट द्वारा आराजी भूमि पर अतिक्रमण नही होने तथा भविष्य मे अतिक्रमण नही करने हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति मे सिविल कारावास के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}–उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार कर सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलांट ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नही करने के संबंध में इस आदेश जारी होने के 15 दिवस में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि अपीलांट का भौतिक रूप से अतिक्रमण है अथवा नही। यदि भौतिक रूप से अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत कायम रहेगी। साथ ही यदि शपथ पत्र मिथ्या पाया जाता है तो अपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जावे। शेष आदेश बेदखली व जुर्माना जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर